न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 09. / 2025

अक्षय गोयल पुत्र सुनील कुमार गोयल निवासी प्लाट नम्बर 30 शिवाजी नगर कम्पो टोंक तहसील व जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 11.02.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन अपील पेश की है। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक को आनॅलाइन आवेदन पत्र दिनांक 05.12.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

1. वर्ष 2020 से 2024 के मध्य टोंक जिले के सभी सरकारी सस्थानों (विधालयों, हॉस्पिटल. APRI, नगर परिषद आदि) में किस आधार पर संविदा पर नियुक्ति की जा रही है।
2. संविदा पर नियुक्ति देने के लिए संबंधित विभाग अथवा कार्यालय द्वारा किस प्रकार और कब निविदा जारी की गयी।
3. संविदा पर नियुक्ति के लिए पात्र की शेक्षणिक योग्यता व कार्यक्षमता का मूल्याकन किस प्रकार व किसके द्वारा किया जाता है।
4. जिला कलेक्ट्रेट टोंक में उपरोक्त सूचना न होने पर सबधित विभाग से सूचना प्राप्त कर उपलबध कराई जाये।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 107 दिनांक 24.01.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 185 दिनांक 10.02.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन दिनांक 5.12.2024 को तत्कालीन अति0 जिला कलेक्टर, टोंक के ऑनलाईन पोर्टल पर ना कर पूर्व अति0 जिला कलेक्टर श्री मुरारीलाल शर्मा के ऑनलाईन पोर्टल पर किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है, जिसके संबंध में अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 186 दिनांक 10.02.2025 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)